प्रेषक,

संजीव मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- प्रमुख सचिव,
राज्यपाल।
3- प्रमुख सचिव,
विधान सभा/विधान परिषद,
सचिवालय।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 21 नवम्बर, 2017

विषय :- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 में संशोधन।

महोदय,

आय-व्ययक में व्यवस्थित एकमुश्त प्रावधानों से वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने की प्रक्रिया बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 में दी गयी है। बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 की व्यवस्था के अधीन वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए समय-समय पर कार्य की लागत सीमा के आधार पर अनुमोदन के स्तर के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाते रहे हैं। इस सम्बन्ध में अंतिम आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी0-3-1840/दस-2014 दिनांक 01-10-2014 द्वारा निर्गत किया गया था।

2- राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-94 के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृतियॉ निम्नानुसार निर्गत की जायेंगी :-

(1) जहॉ परियोजना/योजना अथवा सेवा की कुल लागत रूपये 10 करोड़ से अनधिक हो अथवा धनराशि डिक्री का भुगतान करने के लिये अपेक्षित हो वहॉ विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

(2) जहॉ धनराशि रूपये 10 करोड़ से अधिक परन्तु रूपये 25 करोड़ से अनधिक हो वहॉ विभागीय मंत्री का तथा वित्त मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) जहाँ धनराशि रूपये 25 करोड़ से अधिक हो वहाँ विभागीय मंत्री तथा वित्त मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

3- उक्त आदेश तात्कालीक प्रभाव से लागू होंगे तथा तदविषयक पूर्व के समस्त आदेश स्वत:अधिक्रमित समझे जायेंगे।

भवदीय,

संजीव मित्तल
प्रमुख सचिव।

संख्या-2/2017/बी-3-1034(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव के निजी सचिव।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- वित्त विभाग के समस्त व्यय नियंत्रण अनुभाग एवं समस्त सम्बद्ध अधिकारी।
4- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5- आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।